निर्णय व हजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।

प्रकरण संख्या 84/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

श्री उज्जीवन स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 27, ग्रापे गार्डन थर्ड ए क्रोस, 18 मेन, 6th ब्लॉक, कोरामंगला बेंगलूरु एवं क्षेत्रीय कार्यालय डी–7, द्वितीय एवं तृतीय फ्लोर UMTT बिल्डिंग, सैक्टर–3, नोएडा–201301

प्रार्थी

बनाम

1. श्री नन्द सिंह पुत्र श्री रामसिंह शेखावत
2. श्रीमती विमलेश कंवर पत्नी नन्द सिंह

पता :– प्लॉट नम्बर 21, वार्ड नम्बर 3, उद्योग नगर, रोड नम्बर 8, वीकेआई एरिया, मुरलीपुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं सहऋणी

The application under section 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002

उपस्थित :– 1. प्रार्थी प्रतिनिधि वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री मुकेश कुमार पाटक अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश **दिनांक 09.06.2022**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26/03/2018 को पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी श्री नंद सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 21 का उत्तरी भाग (प्लाट नम्बर 21–ए) स्कीम प्रथम फेज तृतीय–ए, उद्योग नगर, सीकर रोड, रोड नम्बर 6, महापुरा के पास, कुकरखेडा, तहसील व जिला जयपुर क्षेत्रफल 83.33 वर्गगज को बन्धक रख कर 13,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.06.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार पाटक ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। जवाब/बहस हेतु अवसर चाहा गया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्जावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि॰ को भारत का राजपत्र में जारी भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना मुम्बई 03 जुलाई, 2017 द्वारा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।

5. अप्रार्थी ने जबाब बहस प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा है, किन्तु सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। इसलिए अधिक समय नही दिया जा सकता है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 13,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 14,45,714/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 23.06.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

7. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शाक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री नंद सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 21 का उत्तरी भाग (प्लाट नम्बर 21–ए) स्कीम प्रथम फेज तृतीय–ए, उद्योग नगर, सीकर रोड, रोड नम्बर 5, महापुरा के पांस, कुकरखेडा, तहसील व जिला जयपुर क्षेत्रफल 83.33 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्थां को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

9. आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

10. आदेश आज दिनांक 09.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर